रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

9.7.85

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 218] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 1985/वैशाख 10, 1907
No. 218] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 1985/VAISAKHA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1985

अधिसूचना

का.आ. 371(अ) :—मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 64) की धारा 15 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन. के. प्रसाद, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं एवं संघ लोक

सेवा आयोग में संयुक्त सचिव थे, को 16 अप्रैल, 1985 (पूर्वाह्न) से रुपये 2500-125/2-2750 के वेतनमान में मारुति लिमिटेड के लिए भुगतान आयुक्त नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 11(1)/85-एईआई-आई]

के. एस. बेंस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 29th April, 1985

NOTIFICATION

S.O. 371(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 of the Maruti Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (64 of 1980), the Central Government hereby appoints Shri N. K. Prasad, an officer of C.S.S. and formerly Joint Secretary in the U.P.S.C., as Commissioner of Payments for Maruti Ltd., in the scale of pay of Rs. 2500-125|2-2750 with effect from 16th April, 1985 (forenoon).

[F. No. 11(1)|85-AEI-I]

K. S. BAINS, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985